न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 199/2016 दायरा दिनांक : 25.04.2016

उनवान

दुबईया आयु 36 साल, पुत्र श्री चोखरिया, जाति सहरिया, निवासी कस्बाथाना, तहसील शाहबाद, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– रामश्री पुत्री श्री चोखरिया, जाति सहरिया, निवासी कस्बाथाना, तहसील शाहबाद, जिला बारां

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहबाद, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री मदन लाल गालव अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री मोहम्मद आकिल एवं श्री जलीलु रहमान अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 31.05.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद के प्रकरण संख्या – 45/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 22.09.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट ने अपीलांट के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया आराजी खाता संख्या 58 की खसरा नम्बर 21/42 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम महुवाखेड़ी, तहसील शाहबाद में स्थित है । विवादग्रस्त आराजी राजस्व रेकार्ड में वादिनी और प्रतिवादी नम्बर 1 के संयुक्त खाते में दर्ज है जिसमें वादिनी का 1/2 हिस्सा निहित है । वादिनी अपने हिस्से का विभाजन कराना चाहती हैं । अतः दावा वादिनी स्वीकार कर आराजी का विभाजन किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.09.2015 को वादिनी का दावा स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने काउंटर क्लेम पेश किया था । जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज किया है । निर्णय व डिक्री कानून के खिलाफ है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि पक्षकारान सहरिया जाति के है इसमें लड़कियों को पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं होता है । इंतकाल गलत रूप से खोला गया था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 08.12.2015 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पक्षकारान अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं जिसमें पिता की सम्पत्ति में पुरूष उत्तराधिकारी होने पर महिला को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का काउंटर क्लेम खारिज कर विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपीलांट ऐसी कोई प्रथा को साबित नहीं कर पाये हैं जिसके अनुसार महिलाओं का नाम दर्ज नहीं किया जाये । वादिनी वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हैं । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर सलंग्न राजस्व रेकार्ड में वादिनी और प्रतिवादी सम्भाग से सहखातेदार है । पक्षकारान अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं जिन पर ओल्ड हिन्दू लॉ लागू होता है । अपीलांट ने जवाब दावे एवं काउंटर क्लेम में यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी पर कब्जा उसी का है । प्रतिवादी के परिवार के

भरणपोषण का एक मात्र साधन यही है । वादिनी का दावा चलने योग्य नहीं है । दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 4 तनकीयात कायम की गई जो पृष्ठ संख्या 10 के अनुसार सलंग्न है ।

अपीलांट ने अपील में मुख्य रूप से यह कथन किया कि पक्षकारान अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं जिसमें महिलाओं को शादी के बाद पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं होता है यद्यपि अपीलांट प्रतिवादी ने जवाबदावे में यह आपत्ति नहीं उठाई है परन्तु यह सत्य है कि अनुसूचित जनजाति के सदस्य ऑल्ड हिन्दू लॉ से शासित होते हैं जिसमें पुरूष उत्तराधिरी होने पर महिलाओं को पिता की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । अधीनस्थ न्यायालय में जो नकल जमाबंदी पेश की गई है उसमें वादी और प्रतिवादी सहखातेदार दर्ज हैं । प्रतिवादी ने अधीनस्थ न्यायालय में इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए आराजी पिता से वादी और प्रतिवादी के खाते में आयी है, पिता के खाते की नकल जमाबंदी पेश नहीं की है । उनके द्वारा अपील में भी यह जमाबंदी पेश नहीं की गई है । प्रतिवादी को अपने काउंटर क्लेम को स्वयं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करना होता है परन्तु उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में वो राजस्व रेकार्ड पेश नहीं किया है, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि आराजी पिता के खाते से वादी और प्रतिवादी के खाते में आयी है । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रतिवादी अपीलांट का काउंटर क्लेम खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.09.2015 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा